

झारखण्ड उच्च न्यायालय राँची

(वाणिज्यिक अपीलीय अधिकारिता)

वाणिज्यिक अपील सं. 06 वर्ष 2023

1. अवीवा लाइफ इंश्योरेन्स कंपनी इण्डिया लिमिटेड वर्तमान में इसका कारपोरेट-कार्यालय 401-ए, 4 चौथा तल, ब्लॉक-ए डीएलएफ साइबर पार्क सेक्टर 20, एनएच-8 पोस्ट ऑफिस तथा पुलिस थाना डीएलएफ फेज 2, जिला गुड़गाँव अप गुरुग्राम, राज्य हरियाणा में है पहले युनिट सं. 401 यू अवीवा टावर , सेक्टर 43, विपरीत डीएलएफ गोल्फ कोर्स, पोस्ट ऑफिस तथा पुलिस थाना सुशांत लोक, जिला गुड़गाँव अप गुरुग्राम, राज्य हरियाणा में था।

2. अवीवा लाइफ इंश्योरेन्स कंपनी इण्डिया लिमिटेड, वर्तमान में इसका शाखा कार्यालय युनिट सं. 401, चौथा तल , महावीर टावर, पीछे जेडी हाई स्ट्रीट माल, मेन रोड, पोस्ट ऑफिस तथा पुलिस थाना, जिला राँची, झारखण्ड राज्य में है पहले सिटी सेक्टर, पोस्ट ऑफिस, पुलिस थाना जिला धनबाद

दोनों अवीवा लाइफ इंश्योरेन्स कंपनी इण्डिया लिमिटेड 401-ए चौथा तल, ब्लॉक ए, डीएलएफ साइबर पार्क सेक्टर 20, एन एच

3. पोस्ट ऑफिस का पुलिस थाना डीएलएफ फेज-2, जिला गुड़गाँव अप गुरुग्राम, राज्य हरियाणा में प्रबंधक विधिक के रूप में कार्यरत अपने प्रधिकृत प्रतिनिधि श्री प्रतीक नारंग उम्र लगभग 33 वर्ष पुत्र स्व. एस. के. नारंग के द्वारा

-----अपीलार्थीगण

**बनाम**

चिता रंजन दास पुत्र स्व. श्री कृष्णा दास निवासी- 17/ विस्तीपाड़ा, काली मंदिर कालोनी, एच.ई. स्कूल रोड, पोस्ट ऑफिस, पुलिस थाना तथा जिला-धनबाद

-----प्रत्यर्थी

कोरम : मा. कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति  
मा. श्री न्यायमूर्ति नवनीत कुमार  
अपीलार्थीगण के लिए : श्री भारत कुमार, अधिवक्ता  
प्रत्यर्थी के लिए : श्री पी.के.भट्टाचार्य, अधिवक्ता  
श्री आदित्य झा, अधिवक्ता

13 मार्च, 2024

**द्वारा, श्री चन्द्रशेखर, कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति.**

माध्यस्थम मामला सं. 1 वर्ष 2016 में वाणिज्यिक न्यायालय धनबाद के निर्णय से व्यथित, अवीवा लाइफ इंश्योरेन्स कंपनी इण्डिया लिमिटेड (संक्षेप में बीमा कंपनी) ने वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 की धारा 13(1-क) के अधीन यह वाणिज्यिक अपील दाखिल किया है।

2. माध्यस्थम मामला सं. 1 वर्ष 2016 को इस आधार पर खारिज किया गया है कि माध्यस्थम पंचाट को चुनौती माध्यस्थक एवं सुलह अधिनियम 1996 (संक्षेप में मा. सु.अधिनियम) की धारा 34 (3) के अधीन परिसीमा अवधि के परे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है।

3. वाणिज्यिक न्यायालय के पीठासीन अधिकारी ने निम्नवत अभिनिर्धारित किया है:

“7. परिभाषा के विवादक पर आते हैं, मैं पाता हूँ कि पंचाट 25/03/2014 को प्रकाशित किया गया था जिसे 18-01-2016 को इस न्यायालय के समक्ष याचीगण द्वारा चुनौती दिया गया था। इसका अर्थ यह है कि इस मामले को परिसीमा के अवधि के परे दाखिल किया गया था जैसा माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम की धारा 34(3) के अधीन विहित है।

1996 अधिनियम की धारा 34 के परन्तुक के साथ उप धारा 3 को स्पष्ट रूप से पढ़ने से यह प्रदर्शित होता है कि धारा 34 की उपधारा (2) के उल्लिखित आधारों पर पंचाट अपास्त करने के लिए आवेदन तीन माह के अन्दर किया सकता है तथा अवधि को केवल पर्याप्त कारण प्रदर्शित करने पर तीन दिनों के आगे के अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है तथा इसके बाद नहीं। परन्तुक में शब्दावली “लेकिन इसके बाद नहीं” का प्रयोग यह स्पष्ट करता है कि विस्तार तीन दिनों के परे नहीं हो सकता है तथा मैं पाता हूँ कि इस प्रक्रम पर दावेदार का एक मात्र आक्षेप यह है कि वर्तमान मामला परिसीमा द्वारा वर्जित है जैसा माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम की धारा 34 (3) के अधीन अनुध्यात है तथा इस प्रकार मामला पोषणीय नहीं है।

8. मामले में अभिलेख के परिशीलन से ऐसा प्रतीत होता है कि पंचाट 24-03-2014 को एकमात्र मध्यस्थ श्री देवी शरण सिन्हा द्वारा पारित किया गया था, जिसे 659 दिनों के बाद 18-01-2016 को इस न्यायालय के समक्ष याचीगण द्वारा चुनौती दिया गया था तथा याचीगण ने अपने वादपत्र के पैरा 7 में स्वीकार किया है जैसे “यहाँ यह उल्लेख

करना प्रासंगिक है कि 21-01-2015 के पहले याचीगण एकमात्र मध्यस्थ द्वारा पारित किसी पंचाट दिनांक 24-03-2014 के पारित करने के बारे में नहीं जानते थे क्योंकि पंचाट करने की कोई नोटिस कभी याचीगण को किसी समय तामील नहीं कराया गया था जिससे प्रदर्शित होता है कि उक्त पंचाट 21-01-2015 को याचीगण के जानकारी में आया था तथा उक्त पंचाट को 362 दिनों के बाद 18-01-2016 को न्यायालय को समक्ष चुनौती दिया गया था जो परिसीमा अवधि के परे है जैसा माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम की धारा 34 (3) के अधीन विहित है।

9. मा. शीर्ष न्यायालय ने सिमपलेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड. बनाम भारत संघ (2019) 2 एससीसी 455 में संप्रकाशित में अधिनिर्धारित किया है कि माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम की धारा 34 के अधीन पंचाट अपास्त करने के लिए याचिका अधिमानित करने हेतु विहित परिसीमा अवधि को बढ़ाया नहीं जा सकता है तथा यदि बढ़ाया जाता है यह स्पष्ट कानूनी आदेश के उल्लंघन के तुल्य होगा।

10. मामले के पूर्वोक्त तथ्यों तथा परिस्थितियों तथा पूर्वगामी पैरा में किये गये विवेचनाओं के दृष्टिगत तथा मा. शीर्ष न्यायालय के न्यायिक निर्णय पर विचार करते हुए, मैं पाता हूँ कि माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत याची द्वारा दाखिल वर्तमान मामला परिसीमा द्वारा वर्जित है तथा पोषणीय नहीं है एवं इसलिए यह खारिज किये जाने योग्य है। तदनुसार, परिसीमा द्वारा वर्जित होने के नाते याचिका को खारिज किया जाता है जैसा माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम की धारा 34 (3) के अधीन विहित है। संबंधित कार्यालय को अभिलेख नियमानुसार अभिलेखालय में रखने का निदेश दिया जाता है।”

4. यह वाणिज्यिक अपील इस आधार पर आधारित है कि तीन माह की परिसीमा उस तिथि से आरंभ होगी जिस तिथि से मध्यस्थम पंचाट के हस्ताक्षरित प्रति को बीमा कंपनी को दिया गया था। बीमा कंपनी के विद्वान अधिवक्ता श्री भरत कुमार ने यह निवेदन करने के लिए मा.सुल. अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (3) को निर्दिष्ट किया है कि माध्यस्थम पंचाट को कभी भी बीमा कंपनी को तामील नहीं कराया गया था तथा ऐसा होने के नाते धारा 34 के अधीन याचिका को परिसीमा के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता था। विद्वान अधिवक्ता ने आगे निवेदन किया है कि माध्यस्थम पंचाट अभिव्यक्ति “ भारत के लोकनीति का उल्लंघन करने वाला” के विस्तार में नहीं आएगा तथा “स्पष्ट अवैधता” द्वारा संदूषित नहीं होगा

यदि मध्यस्थ की नियुक्ति विधि के अनुसार नहीं होगा तथा जिसके परिणाम स्वरूप, माध्यस्थम पंचाट अवैध हो जायेगा।

5. संक्षेप में बताया गया है कि, प्रत्यर्थी (एतस्मिन्पश्चात “दावेदार” के रूप में निर्दिष्ट) जो बीमा दावा के प्रत्याख्यान द्वारा व्यथित था ने पत्र दिनांक 31 जनवरी 2012 द्वारा विवाद के निपटारे हेतु दावा मुल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित दस्तावेजों की माँग करते हुए 5 मार्च 2012, 28 मार्च 2012 तथा 9 मई 2012 को दावा प्रबन्धन समूह, अवीवा लाइफ इंश्योरेंस को विधिक नोटिस भेजा था। बीमा कंपनी ने इसके पत्रों का जवाब नहीं दिया था तथा इसलिए पॉलिसी नं. बीएलए-0001666 के खण्ड 19 का अवलंब लेते हुए दावेदार ने अपने दावा के निपटारा हेतु व्यवसायरत अधिवक्ता तथा बार एसोसियेशन धनबाद सिविल न्यायालय के महासचिव श्री देवी शरण सिन्हा को नियुक्त किया था, अनंतिम रूप से 18 प्रतिशत ब्याज के साथ रु 20 लाख पर मूल्यांकन किया था। दावेदार से संसूचना को प्राप्त करने के पश्चात, बीमा कंपनी मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित हुआ था तथा मा.सु. अधिनियम की धारा 16 (2) के अधीन आवेदन दाखिल किया था। इस आवेदन में, बीमा कंपनी ने अपना आधार प्रस्तुत किया था कि मा. सु. अधिनियम की धारा 7 (2) के अनुसार पक्षकारों के बीच माध्यस्थम करार नहीं है। बीमा कंपनी ने 8 फरवरी 2006 को विनिश्चित “विजय लक्ष्मी बिल्डर्स एण्ड डिवलपर्स (प्रा.) लि. बनाम ए राजेन्दर तथा अन्य” में निर्णय को निर्दिष्ट किया था, जिसमें आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि मात्र ऐसे विवाद जिसके संबंध में पक्षकारगणों में विशेष रूप से मध्यस्थ के किए सहमति बनी थी मध्यस्थ की विषयवस्तु हो सकती है तथा केवल इस प्रकार की स्थिति में पक्षकारों को माध्यस्थम के लिए निर्दिष्ट किया जा सकता है। बीमा कंपनी ने भी 19 मार्च 2010 को विनिश्चित “सरन एंजेंसी बनाम हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि.” में निर्णय पर भरोसा रखा है जिसमें मद्रास उच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि व्यथित पक्षकार माध्यस्थम के द्वारा विवाद समाधान तंत्र का लाभ उठा सकता है यदि इसका उपबंध विवाद का समाधान करने के लिए करार में किया गया है।

6. बीमा कंपनी के अनुसार मा. सु. अधिनियम की धारा 16 (2) के अन्तर्गत आवेदन पर मध्यस्थ द्वारा निर्णय नहीं दिया गया था। आदेश दिनांक 12 जनवरी 2024 के अनुसरण में, मध्यस्थ के समक्ष कार्यवाहियों के साथ माध्यस्थम मामला सं. 1 वर्ष 2016 से संबंधित मूल अभिलेखों को इस न्यायालय को भेजा गया है। पक्षकारों को लिए उपस्थित होते हुए विद्वान अधिवक्ता ने न्यायालय में स्वीकार किया है कि मा.सु. अधिनियम की धारा 16 (2) के अधीन

आवेदन खारिज करते हुए 29 नवम्बर 2013 को लेखबद्ध कोई आदेश अभिलेखों में नहीं है। माध्यस्थम पंचाट दिनांक 24 मार्च 2014 भी यह लेखबद्ध नहीं करता है कि धारा 16 (2) के अधीन आवेदन को खारिज किया गया था। वास्तव में, माध्यस्थम पंचाट में यह लेखबद्ध है कि पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता ने मा.सु. अधिनियम की धारा 16 (2)के अन्तर्गत आवेदन पर अपना तर्क प्रस्तुत किया था तथा जहाँ तक उस तिथि के कार्यवाही का संबंध है आदेश तैयार किया गया था और कुछ नहीं। फिर भी, दावेदार के विद्वान अधिवक्ता श्री पी.के.भट्टाचार्य ने निवेदन किया है कि मा.सु. अधिनियम की धारा 34 के अधीन याचिका में बीमा कंपनी द्वारा इस प्रकार के तकनीकी आक्षेपों को उठाने में काफी विलम्ब हुआ है। दावेदार के विद्वान अधिवक्ता ने इस आधार पर वर्तमान वाणिज्यिक अपील के पोषणीयता पर आपत्ति किया है कि उस समय जब पंचाट 24 मार्च 2014 को किया गया था वाणिज्यिक न्यायालय अधिनियम 2015 का प्रावधान लागू नहीं था। दावेदार के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया है कि बीमा कंपनी जो मध्यस्थ के समक्ष उपस्थित हुआ था लेकिन अपना लिखित जवाब दाखिल नहीं किया था व्यतिक्रम में पक्षकार अभिनिर्धारित किया जाना चाहिए जिसने जानबूझकर माध्यस्थम कार्यवाहियों के किसी आक्षेप को उठाने के अपने अधिकारों को खो दिया था।

7. मा.सु. अधिनियम जो स्वतः पूर्ण संहिता है आदेश देता है कि अधिकारिता का प्रश्न माध्यस्थम कार्यवाहियों को आरंभ होने के ठीक बाद मध्यस्थ के समक्ष उठाया जाना चाहिए तथा अधिकारिता विषयक प्रश्न का अवधारण प्रारंभिक विवादक के रूप में किया जाना आवश्यक है।

8. “मैकडरमाट इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज बनाम बर्न स्टैंडर्ड कम्पनी लि.” एससीसी 181 में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नवत अभिनिर्धारित किया है:

*“51. 1996 अधिनियम के लागू होने के बाद, अधिनियम की धारा 16 के अधीन मध्यस्थ के अधिकारिता पर आपत्ति करने वाले पक्षकार द्वारा मध्यस्थ के समक्ष उक्त प्रश्न को उठाने की बाध्यता है। इस प्रकार के अधिकारिता के प्रश्न को उठाया जा सकता है यदि यह इसके प्राधिकार के व्यप्ति के परे है। इसे माध्यस्थम कार्यवाहियों के दौरान या इसके आरंभ होने के तत्काल बाद उठाया जाना आवश्यक होता है। अधिकारिता विषयक प्रश्न का अवधारण प्रारंभिक आधार के रूप में किया जाना आवश्यक होता है। तत्पश्चात मध्यस्थ द्वारा लिया गया निर्णय अधिनियम की धारा 34 के अन्तर्गत चुनौती की विषय वस्तु होगा। उस दशा में जब मध्यस्थ विचार व्यक्त करता है कि इसके पास इस संबंध*

में अधिकारिता नहीं थी इसके विरुद्ध अपील अधिनियम की धारा 37 के अन्तर्गत उपबंधित है।

9. मा.सु. अधिनियम की धारा 4 16 तथा 31 में प्रावधान जिसे पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ता ने सुनवाई के अनुक्रम में निर्दिष्ट किया है: नीचे उद्धृत किया जाता है:

**4. आपत्ति करने के अधिकार का अधित्यजन-** कोई पक्षकार जो यह जानता है कि -

क. इस भाग के ऐसे किसी उपबंध का, जिसे पक्षकार अस्वीकृत कर सकते हैं या

ख. माध्यस्थम करार के अधीन किसी अपेक्षा का अनुपालन नहीं किया गया है और फिर

भी असम्यक विलम्ब के बिना यदि आपत्ति का कथन करने के लिए किसी कालावधि

का उपबंध किया गया है तो उस कालावधि के भीतर ऐसे अनुपालन के लिए अपनी

आपत्ति का कथन किए बिना माध्यस्थम के लिए अग्रसर होता है, उसके बारे में यह

समझा जाएगा कि उसने इस प्रकार आपत्ति करने के अपने अधिकार का अधित्यजन कर

दिया है।

**16. माध्यस्थम अधिकरण की अपनी अधिकारिता के बारे में विनिर्णय करने की**

**सक्षमता-** 1 माध्यस्थम अधिकरण, अपनी अधिकारिता के बारे में स्वयं विनिर्णय कर

सकेगा, जिसके अन्तर्गत माध्यस्थम करार की विद्यमानता या विधिमान्यता के बावत

किसी आक्षेप पर विनिर्णय भी है और उस प्रयोजन के लिए-

क. कोई माध्यस्थम खण्ड जो किसी संविदा का भाग रूप है, संविदा के अन्य निबंधनों से

स्वतंत्र किसी करार के रूप में माना जाएगा और

ख. माध्यस्थम अधिकरण का ऐसा कोई विनिश्चय कि संविदा अकृत

और शून्य है माध्यस्थम खण्ड को विधितः अविधिमान्य नहीं करेगा।

(2) यह अभिवाक कि माध्यस्थम अधिकरण को अधिकारिता नहीं है, प्रतिरक्षा का कथन

प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् नहीं किया जाएगा: तथापि कोई पक्षकार केवल इस कारण

यह अभिवाक करने से निवारित नहीं किया जायेगा कि उसने किसी माध्यस्थ को

नियुक्त किया है या उसकी नियुक्ति में भाग लिया है।

(3) यह अभिवाक की माध्यस्थम अधिकरण अपने प्राधिकार के व्यपत्ति का अतिक्रमण

कर रहा है यथा शीघ्र जैसे ही मामला, इसके प्राधिकार के व्यपत्ति से परे अभिकथित

किया जाता है माध्यस्थम कार्यवाहियों के दौरान किया जाएगा।

(4) माध्यस्थम अधिकरण उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट मामलो में किसी में से परवर्ती अभिवाक को यदि, वह विलंब को न्यायोचित समझता है, स्वीकार कर सकता है।

(5) माध्यस्थम अधिकरण उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट किसी अभिवाक पर विनिश्चय करेगा और जहाँ माध्यस्थम अधिकरण, अभिवाक को नामंजूर करने का विनिश्चय करता है वहाँ वह माध्यस्थम कार्यवाही को जारी रखेगा और माध्यस्थम पंचाट करेगा।

(6) ऐसे किसी माध्यस्थम पंचाट से व्यथित कोई पक्षकार ऐसे किसी माध्यस्थम पंचाट को अपास्त करने के लिए धारा 34 के अनुसार आवेदन कर सकेगा।

**31. माध्यस्थम पंचाट का प्ररूप और उसकी विषयवस्तु-** (1) माध्यस्थम पंचाट लिखित में दिया जायेगा और माध्यस्थम अधिकरण के सदस्यो द्वारा उस पर हस्ताक्षर किये जायेगे।

(2) उपधारा (2) के प्रयोजनो के लिए ऐसी माध्यस्थम कार्यवाहियो में जिसमें एक से अधिक मध्यस्थ है, माध्यस्थम अधिकरण के सभी सदस्यो के बहुमत का हस्ताक्षर तब तक पर्याप्त होगा जब तक किसी न किये गये हस्ताक्षर हेतु कारण नही बताया जाता है।

(3) माध्यस्थम पंचाट में वे कारण बताये जायेगे जिन पर यह आधारित है, जब तक कि-

(क) पक्षकारगण सहमत न हुए हो कि कोई कारण नही दिया जाना चाहिए या

(ख) पंचाट धारा 30 के अन्तर्गत सहमत निबंधनो पर माध्यस्थम पंचाट है।

(4) माध्यस्थम पंचाट में माध्यस्थ के स्थान तथा इसके स्थान को बताया जायेगा जैसा धारा 20 के अनुसार अवधारित है तथा पंचाट को उस स्थान पर किया गया समझा जायेगा।

(5) माध्यस्थम पंचाट दिये जाने के पश्चात, प्रत्येक पक्षकार को हस्ताक्षरित प्रति दी जायेगी।

(6) माध्यस्थम अधिकरण, माध्यस्थम कार्यवाहियो के दौरान किसी भी समय, ऐसे किसी विषय पर जिस पर कि वह अंतिम माध्यस्थम पंचाट दे सकता है, अंतरिम पंचाट दे सकेगा।

(7) (क). जबतक कि पक्षकारो द्वारा अन्यथा करार न पाया जाए, और जहाँ तक कि कोई माध्यस्थम पंचाट धन के संदाय के लिए है, माध्यस्थम पंचाट उस धनराशि में, जिसके लिए पंचाट दिया गया है, सम्पूर्ण धन पर या उसके किसी भाग पर, वह तारीख जब पंचाट दिया गया है, के बीच की सम्पूर्ण अवधि या उसके किसी भाग के लिए ऐसी दर से जो वह ठीक समझे, ब्याज सम्मिलित कर सकेगा।

(ख) उस राशि पर जिसको संदाय किये जाने का माध्यस्थम पंचाट द्वारा निर्देश दिया गया है, जब तक कि पंचाट में अन्यथा निदेश न दिया गया हो, पंचाट की तारीख से उस राशि का संदाय किये जाने की तारीख तक, पंचाट की तारीख को लागू ब्याज की वर्तमान दर में दो प्रतिशत अधिक दर पर ब्याज लगेगा।

**स्पष्टीकरण-** “ब्याज की वर्तमान दर” पद का वही अर्थ है जो ब्याज अधिनियम 1978 (1978 का 14 का) की धारा 2 के दण्ड में इसे दिया गया है।

(8) माध्यस्थम के खर्ची को माध्यस्थम अधिकरण धारा 31 क के अनुसार नियत किया जायेगा।

10. दावेदार की ओर से किया गया निवेदन कि बीमा कंपनी जिसने धारा 16 (2) के अधीन आवेदन दाखिल किया था तथा तर्क दिया था कि उक्त आवेदन मध्यस्थ के नियुक्ति के संबंध में आक्षेप नहीं उठा सकता है, सारहीन है। मा. सु. अधिनियम की धारा 34 की उपधारा 2(क) (v) विशेष रूप से उपबंध करता है कि माध्यस्थम पंचाट को न्यायालय द्वारा अपास्त किया जा सकता है यदि माध्यस्थम अधिकरण का गठन पक्षकारो के करार के अनुसार नहीं है। धर्म प्रतिष्ठानम बनाम मधोक कन्सट्रक्सन (प्रा.) लिमिटेड (2005) 9 एससीसी 686 में, मा. उच्चतम न्यायालय ने संप्रेक्षित किया कि माध्यस्थम अधिकरण का चुना जाना तथा मध्यस्थ को विवाद का संदर्भ दोनो मध्यस्थ चुनने के समय पर संदर्भ करने के समय पर दिये गये सहमति पर आधारित होना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने आगे संप्रेक्षित किया कि यदि माध्यस्थम खण्ड है लेकिन पक्षकारगण मध्यस्थ के नियुक्ति हेतु सहमत नहीं थे, इस प्रकार के मामलो में भी एक पक्षकार न्यायालय के अधिकारिता को छीन नहीं सकता है तथा मध्यस्थ के एक पक्षीय रूप से नियुक्ति के लिए अग्रसर नहीं हो सकता है।

11. “धर्म प्रतिष्ठानम में ” मा. उच्चतम न्यायालय ने निम्नवत अभिनिर्धारित किया है:

*“12. एतस्मिन्उपरोक्त निर्दिष्ट कई प्रावधानो को स्पष्ट रूप से पढ़ने के बाद, हमारी स्पष्ट रूप से राय है कि प्रत्यर्थी द्वारा अनुसरित प्रक्रिया तथा अपनाया*

गया विधि तंत्र पूर्णतया विधि में अज्ञात है तथा एकमात्र मध्यस्थ श्री स्वामी दयाल की नियुक्ति, इस प्रकार के मध्यस्थ को विवादो का संदर्भ तथा एकपक्षीय कार्यवाहियाँ एवं मध्यस्थ द्वारा दिया गया पंचाट सभी आरंभ से शून्य है तथा इस लिए अकृतता अनदेखी किये जाने योग्य है। माध्यस्थम के मामले में न्यायालय के हस्तक्षेप के बिना, पक्षकारो को दोनो के बीच किये गये करार का कठोरता पूर्वक साथ देना चाहिए। यदि माध्यस्थम खण्ड उस मध्यस्थ का नाम नहीं लेता है जैसा एक पक्षकार पहले से सहमत है मध्यस्थ के नियुक्ति में कठिनाई नहीं होती है। यदि माध्यस्थम खण्ड उस मध्यस्थ का नाम नहीं लेता है लेकिन उस तौर-तरिके का उपबंध करता है जिसमें मध्यस्थ को चुना जाना तथा नियुक्त किया जाना है, तब पक्षकारगण तदनुसार कार्यवाही करने के लिए बाध्य होते हैं। यदि पक्षकारगण सहमत नहीं होते हैं तब कठिनाई पैदा होती है जिसका समाधान अधिनियम के प्रावधानो के संदर्भ द्वारा किया जाना चाहिए। एक पक्षकार न्यायालय के अधिकारिता को छीन नहीं सकता है तथा एक पक्षीय रूप से कार्यवाही करने के लिए अग्रसर नहीं हो सकता है। एकपक्षीय नियुक्ति तथा एकपक्षीय संदर्भ दोनो अवैध होगा। यह अंतर कर सकता है यदि एकपक्षीय नियुक्ति तथा संदर्भ के संबंध में अन्य पक्षकार मध्यस्थ के अधिकारिता को स्वीकार करता है तथा अपने अधिकारो का अधित्यजन करता है जो इसके करार के अधीन है तब मध्यस्थ संदर्भ के साथ अग्रसर हो सकता है तथा अपने अधिकारिता को स्वीकार करने वाला तथा स्वयं के समक्ष कार्यवाहियो में भाग लेने वाले पक्षकार को बाद में इस संबंध में किसी आक्षेप को उठाने से प्रवारित तथा विवंधित किया जा सकता है।

12. मा.सु. अधिनियम की धारा 11 जो मध्यस्थो के नियुक्ति हेतु प्रक्रिया अधिकथित करता है उपबंध करता है कि पक्षकारगण मध्यस्थ के नियुक्ति हेतु प्रक्रिया पर सहमत होने के लिए स्वतंत्र होते हैं। उपधारा (2) के अधीन मध्यस्थ के नियुक्ति हेतु प्रक्रिया या नियुक्ति के लिए पक्षकारो के बीच माध्यस्थम करार आवश्यक रूप से अपेक्षित होता है। धारा 7 की उपधारा (2) उपबंध करता है कि माध्यस्थम करार संविदा में माध्यस्थम खण्ड के रूप में या पृथक करार के रूप में हो सकता है। उपधारा (3) आदेश देता है कि माध्यस्थम करार लिखित होगा। दावेदार की ओर से यह तर्क दिया गया है कि बीमा पॉलिसी का यदि समुचित तरीके से अर्थ लगाया जाता

है माध्यस्थम खण्ड अन्तर्विष्ट होता है, यह खण्ड 19 है। फिर भी, हमारी राय में, खण्ड 19 एकमात्र संकेत देता है कि पक्षकारों को नियंत्रित करने वाली विधि क्या होगी तथा और कुछ नहीं। यह उपबंध करता है कि "इस पॉलिसी के अन्तर्गत या से उद्भूत कोई तथा सभी विवादों या मतभेदों को भारतीय विधि के अनुसार तथा भारतीय न्यायालयों द्वारा नियंत्रित तथा अवधारित किया जायेगा"। जबकि पक्षकारों के बीच विवाद का समाधान माध्यस्थम द्वारा किया जा सकता है तथा माध्यस्थम कार्यवाहियाँ मा.सु. अधिनियम के अन्तर्गत नियंत्रित की जायेगी लेकिन बीमा पॉलिसी के खण्ड 19 का वह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है जिसमें माध्यस्थम खण्ड अन्तर्विष्ट है। दावेदार का पत्र दिनांक 3 दिसम्बर 2012 को सुनिश्चित शब्दों में प्रदर्शित करता है कि मध्यस्थ की नियुक्ति एकपक्षीय कार्य था तथा बीमा कंपनी ने मध्यस्थ के रूप में कार्य करने के लिए श्री देवी शरण सिन्हा के नियुक्ति हेतु परामर्श कमोवेश सहमति भी नहीं लिया था।

13. पत्र दिनांक 3 दिसम्बर 2012 निम्नवत पठित है

सेवा में,

दावा प्रबन्धन समूह

अवीवा लाइफ इंश्योरेंस

द्वितीय तल प्रकाशदीप बिल्डिंग

7, टालस्टाय मार्ग

नई दिल्ली -110001.

रु 20,00,000 (रु बीस लाख) पॉलिसी मूल्य के पॉलिसी धारक सं. बीएलए-0001666 के विरुद्ध विवाद समाधान करार/ विवाद के विधि को शासित करने वाले (बीमा अधिनियम माध्यस्थम प्रावधान) के अवीवा सामान्य निबंधनों तथा शर्त सं. 19 के अनुसार मध्यस्थ की नियुक्ति।

महाशय,

मेरे मुक्लि चितरंजन दास पुत्र स्व. जिबन कृष्णा दास तथा पति स्व. सुष्मिता दास निवासी मकान नं. 17. काली मंदिर कॉलोनी, हीरापुर वाया एच.ई. स्कूल रोड, पोस्ट ऑफिस तथा पुलिस थाना धनबाद जिला धनबाद मुझे (अपने अधिवक्ता) को निम्नवत अनुदेशों के साथ नोटिस तामील कराता है:-

1. यह कि मेरे मुवक्किल ने अपने पत्नी पॉलिसी धारक स्व. सुष्मिता दास के 25-10-2011 को मृत्यू के बाद आपके विहित प्रारूप के द्वारा तत्काल दावा प्रस्तुत किया था।
2. यह कि, उस उक्त दावा प्रारूप (दिनांक 26-12-2011) के जवाब में, आपके पत्र दिनांक 31-01-2012, यूआईएन/122एन0811वी01 द्वारा मेरे मुवक्किल के दावा का प्रत्याख्यान किया था। इस प्रकार 31-01-2012 से तथा को विवाद पैदा हुआ था।
3. यह कि, मेरे मुवक्किल ने विधिक नोटिस दिनांक 5-3-2012, 28-03-2012, 9-5-2012 द्वारा आपके दावा मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित सुसंगत दस्तावेजों को माँगा था लेकिन विवाद का समाधान करने के लिए इसे अब तक पूरा नहीं किया गया है।
4. यह कि, खण्ड सं. 19 (शासी विधि) निम्नवत पठित है:-
  - (i) इस पॉलिसी के तहत या से उद्भूत किसी तथा सभी विवादों या मतभेदों को भारतीय विधि के अनुसार तथा भारतीय न्यायालय द्वारा शासित तथा अवधारित किया जायेगा।
  - (ii) अब विवादों का समाधान करने के संबंध में भारतीय विधि वर्तमान में माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 है जो आपके पत्र दिनांक 31-01-2012 द्वारा दावा के प्रत्याख्यान से तथा को विवाद अस्तित्व में है, माध्यस्थम/ मध्यस्थ के द्वारा विवादों के समाधान का उपबंध करता है।
5. 18 प्रतिशत प्रति ब्याज के साथ मेरे अनन्तिम रूप से रु 20,00,000/-के विवादों/दावा का समाधान करने के लिए मेरा मुवक्किल एतद् द्वारा श्री देवी शरण सिन्हा, अधिवक्ता मा. महासचिव बार एसोसियेशन धनबाद को नियुक्त करता है (इस मध्यस्थ के नियुक्ति पत्र की प्रति को श्री देवी शरण सिन्हा, महासचिव बार एसोसियेशन, धनबाद को भी संलग्न किया जा रहा है। दिया जा रहा है।

धन्यवाद

(श्री के भट्टाचार्य)

अधिवक्ता

धनबाद

14. मा.सु. अधिनियम के प्रावधानों में व्याप्त प्रमुख विषय पक्षकार स्वायत्तता को प्रमुखता है। इसलिए, कोई माध्यस्थम कार्यवाही पक्षकारों को बीच लिखित माध्यस्थम करार पर आधारित होना चाहिए तथा इसका निबंधन मध्यस्थ तथा पक्षकारों दोनों को आबद्ध करेगा। मा.सु. अधिनियम स्पष्ट रूप से इसके अन्तर्गत अन्तर्विष्ट कई प्रावधानों में पक्षकार स्वायत्तता को

सम्मिलित करता है तथा स्वीकार करता है। “भारत एल्यूमिनियम कं. बनाम कैसर एल्मुनियम टेक्नीकल सर्विसेज इण्डस्ट्रीज (2016) 4 एससीसी 126” में मा. उच्चतम न्यायालय ने संप्रक्षित किया कि पक्षकार स्वायत्तता माध्यस्थम का विचार मग्न तथा निर्देशका आत्मा है। “सेन्ट्रोटेड मिनरल एण्ड मेटल इण्डस्ट्रीज बनाम हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड (2017) 2 एससीसी 228 में समान विचार व्यक्त करते हुए मा. उच्चतम न्यायालय ने संप्रक्षित किया कि माध्यस्थम की रीढ़ पक्षकार स्वायत्तता है। इसलिए यह आवश्यक है कि करार की गई प्रक्रिया जिसे पक्षकारों द्वारा स्वीकार किया गया था का अनुसरण मध्यस्थ के नियुक्ति में किया जाना चाहिए। बीमा पॉलिसी का खण्ड 19 मध्यस्थ के नियुक्ति हेतु किसी प्रक्रिया का उपबंध नहीं करता है तथा वास्तव में, यह माध्यस्थम खण्ड नहीं है जिसके संदर्भ में दावेदार मध्यस्थ के नाम को प्रस्तावित कर सकता था।

15. यह बीमा पॉलिसी द्वारा प्रस्तुत मामला है कि इसे माध्यस्थम पंचाट देने की कोई सूचना नहीं दी गई थी। बीमा कंपनी ने अभिवचन किया है कि 21 जनवरी 2015 को पहली बार जब निष्पादन मामला सं. 61 वर्ष 2014 में सिविल जज, वरिष्ठ खण्ड-1 धनबाद के न्यायालय से इसे निष्पादन की नोटिस तामील कराई गई थी कि यह अभिलेखों के निरीक्षण के बाद यह जान सका कि माध्यस्थम पंचाट 24 मार्च 2014 को किया गया था। मा. सु. अधिनियम की धारा 34 के अधीन आवेदन में, बीमा कंपनी ने विशेष रूप से पैरा सं. 4 तथा 7 में यह अभिवाक प्रस्तुत किया था। फिर भी, दावेदार जो माध्यस्थम मामला सं. 1 वर्ष 2016 में उपस्थित हुआ था इस संबंध में अपना जवाब दाखिल नहीं किया था तथा आदेश दिनांक 7 दिसम्बर 2017 द्वारा लिखित कथन दाखिल करने से विवर्जित किया गया था। माध्यस्थम मामला सं. 1 वर्ष 2016 के सुनवाई के दौरान भी दावेदार ने यह अभिवाक प्रस्तुत नहीं किया था कि बीमा कंपनी के पास माध्यस्थम पंचाट दिनांक 24 मार्च 2014 की सूचना थी तथा यह कि 18 जनवरी 2016 को दाखिल मा. सु. अधिनियम की धारा 34 के अधीन याचिका परिसीमा द्वारा विवर्जित था। मूल अभिलेखों से यह संकेत नहीं मिलता है कि माध्यस्थम पंचाट के हस्ताक्षरित प्रति को बीमा कंपनी को दिया गया था। इस अभिवाक के संबंध में कोई उत्तर नहीं है जिसे विशेष रूप से बीमा कंपनी द्वारा मा.सु अधिनियम की धारा 34 के अधीन बीमा कंपनी द्वारा अपने याचिका में उठाया गया था। वाणिज्यिक न्यायालय ने भी मामले के इस पहलू पर विचार नहीं किया था तथा परिसीमा द्वारा वर्जित होने के नाते माध्यस्थम मामला सं. 1 वर्ष 2016 को खारिज किया था।

16. मा. सु. अधिनियम की धारा 34 के उपधारा (3) के अन्तर्गत प्रावधानों पर दृष्टि डालने पर, यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट हो जाता है कि तीन माह के परिसीमा की अवधि व्यथित पक्षकार द्वारा माध्यस्थम पंचाट की प्रति को प्राप्त करने की तिथि से आरंभ होगा। उपधारा (3) दो शर्तों को सम्मिलित करता है अर्थात् (i) माध्यस्थम पंचाट देना तथा (ii) व्यथित पक्षकार द्वारा माध्यस्थम पंचाट को प्राप्त करना जो मा.सु. अधिनियम की धारा 34 के अधीन याचिका दाखिल करते हुए माध्यस्थम पंचाट को चुनौती देना चाहता है। दावेदार जिसने मा.सु. अधिनियम की धारा 34 के अधीन कार्यवाही में अपना आक्षेप दाखिल नहीं किया था यह प्रमाणित करने में असमर्थ है कि 21 जनवरी 2015 के पहले माध्यस्थम पंचाट दिनांक 24 मार्च 2014 के प्रति को बीमा कंपनी द्वारा प्राप्त किया गया था। यह पूर्णतया भलीभाँति प्रतिपादना है कि परिसीमा जानकारी की तिथि से चलना आरंभ होता है। “भारत संघ बनाम टेक्को त्रिची इंजीनियर्स एण्ड कंट्रक्टर्स” (2005) 4 एससीसी 239 में मा. उच्चतम न्यायालय ने निम्नवत संप्रेक्षित किया था:

*"6. माध्यस्थम पंचाट के प्ररूप तथा अन्तर्वस्तु का उपबंध अधिनियम की धारा 31 द्वारा किया गया है। अधिनियम की धारा 31 द्वारा विहित रीति से तैयार माध्यस्थम पंचाट हस्ताक्षरित तथा दिनांकित होना चाहिए। उप धारा (5) के अनुसार “पंचाट किये जाने के बाद हस्ताक्षरित प्रति प्रत्येक पक्षकार को दिया जायेगा”। शब्द पक्षकार माध्यस्थम करार के पक्षकार के अर्थ के रूप में अधिनियम की धारा 2 के खण्ड (एच) द्वारा परिभाषित है। परिभाषा को पढ़ा जाना चाहिए जैसा दिया गया है जब तक कि अन्यथा संदर्भ अपेक्षित न हो। धारा 34 की उपधारा (3) के अन्तर्गत 3 माह की परिसीमा उस तिथि से आरंभ होता है जिस तिथि को इस आवेदन को करने वाले पक्षकार ने माध्यस्थम पंचाट प्राप्त किया था। हमें यह विचार करना है कि शब्द पक्षकार तथा राज्य या सरकार के विभाग, इसके अलावा रेलवे जैसे बड़े संगठन के संदर्भ में पंचाट अपास्त करने के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार को कौन सा अर्थ दिया जाना चाहिए।*

17. “महाराष्ट्र राज्य बनाम एआरके बिल्डर्स (प्रा.) लि.” (2011) 4 एससीसी 616 में मा. उच्चतम न्यायालय ने इस विषय पर विधि को निम्नवत स्पष्ट किया है:

*“15. ऊपर उद्धृत निर्णय का प्रमुख भाग संदेह के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ता है कि अधिनियम की धारा 34 (3) के अन्तर्गत विहित परिसीमा की अवधि मात्र उस तिथि से आरंभ होगा जब से पंचाट के हस्ताक्षरित प्रति को अधिनियम की धारा 34 (1) अधीन*

इसे अपास्त करने के लिए आवेदन करने वाले पक्षकार द्वारा दिया/ प्राप्त किया जाता है। विवादक पर विधिक स्थिति को इस प्रकार कहा जा सकता है। यदि विधि विहित करता है कि आदेश/ पंचाट के प्रति को विशेष तरीके से संबंधित पक्षकारों को संसूचित, दिया, प्रेषित, अग्रेषित, प्रतिदान करना या भेजा जाना चाहिए तथा यदि विधि व्यथित पक्षकार द्वारा प्रश्नगत आदेश/ पंचाट को चुनौती देने के लिए परिसीमा की अवधि की निश्चित करता है, तब परिसीमा की अवधि मात्र इस तिथि से आरंभ हो सकता है जिस तिथि को विधि द्वारा विहित रीति से संबंधित पक्षकार द्वारा आदेश / पंचाट प्राप्त किया गया था।

18. “सिमप्लेक्स इन्फ्रास्ट्रक्चर लि. भारत संघ “(2019) 2 एससीसी 455 में निर्णय बीमा कंपनी के मार्ग में नहीं आएगा। “ सिमप्लेक्स इस प्रतिपादना के संबंध में प्राधिकरण है कि माध्यस्थम पंचाट को चुनौती तीन माह के अवधि के बाद नहीं दिया जा सकता है तथा कुछ मामलों में तीस दिनों के आगे अवधि के अन्दर जहाँ न्यायालय को समाधान होता है कि आवेदक को तीन माह के अवधि के अन्दर आवेदन करने से पर्याप्त कारण द्वारा रोका गया था। मा.सु. अधिनियम की धारा 34 की उपधारा (3) में विशेष रूप से अभिव्यक्ति” तिथि जिस पर इस आवेदन को करने वाले पक्षकार ने माध्यस्थम पंचाट प्राप्त किया है या यदि धारा 33 के अधीन अनुरोध किया गया है, उस तिथि से जिस पर अनुरोध को माध्यस्थम अधिकरण द्वारा निपटाया गया है” अन्तर्विष्ट है। “सिमप्लेक्स” में इस बात का विवाद नहीं था कि माध्यस्थम पंचाट की प्रति व्यथित पक्षकार द्वारा प्राप्त की गई थी तथा उस तिथि से गणना करते हुए मा.सु.अधिनियम की धारा 34 के अधीन याचिका परिसीमा के अवधि के परे दाखिल किया गया था। “मैकडरमाट इन्टरनेशनल इंडस्ट्रीज” में मा. उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया है कि माध्यस्थम एवं सुलह अधिनियम 1996 निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए न्यायालयों को पर्यवेक्षणीय भूमिका देता है तथा न्यायालय का हस्तक्षेप सीमित परिस्थितियों में विचारित है जैसे मध्यस्थ का कपट या पक्षपात या नैसर्गिक न्याय का उल्लंघन। यह वाणिज्यिक अपील स्पष्ट रूप से बीमा कंपनी द्वारा प्रस्तुत मामले को “मैकडरमाट इन्टरनेशनल इण्डस्ट्रीज” में विचारित सीमित परिस्थितियों में लाता है।

19. पूर्वगामी कारणों पर माध्यस्थम मामला सं. 1 वर्ष 2016 में पारित आदेश दिनांक 27 फरवरी 2023 को अपास्त किया जाता है।

20. मा. सु. अधिनियम की धारा 34 के अधीन दाखिल माध्यस्थम मामला सं. 1 वर्ष 2016 सफल होता है तथा परिणाम स्वरूप, माध्यस्थम पंचाट दिनांक 24 मार्च 2014 को अपास्त किया जाता है।

21. आई.ए.सं. 3190 वर्ष 2023 तथा 9222 वर्ष 2023 को निपटाया जाता है।

(श्री चन्द्र शेखर कार्यवाहक मुख्य न्यायमूर्ति)  
(नवनीत कुमार न्यायमूर्ति)

(यह अनुवाद 02 शिवा कान्त तिवारी पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया)